न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 00037 / 2020 दायरा दिनांक : 06.07.2020

उनवान

गजानन्द आत्मज धूलीलालजी, जाति मीणा, निवासी बोरदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— जयलाल आत्मज धूलीलालजी, जाति मीणा, निवासी बोरदा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अमृत मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या — निर्णय दिनांक 22.06.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलांट ने पेश किया था । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार रहा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.03.2020 की पेशी नियत थी । उक्त तिथि को अभिभाषक व अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी अदम हाजरी में खारिज कर दिया । जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 22.06.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी को रेस्टोर करने हेतु पेश किया जिसे सरसरी तौर पर दिनांक 22.06.2020 के आदेश से निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.06.2020 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.03.2020 की पेशी नियत थी । उक्त तिथि को अभिभाषक व अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी अदम हाजरी में खारिज कर दिया । जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 22.06.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी को रेस्टोर करने हेतु पेश किया किन्तु इस तथ्य पर विश्वास न कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2020 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलांट ने पेश किया था । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया गया था जो अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार रहा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.03.2020 की पेशी नियत थी । उक्त तिथि को अभिभाषक व अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी अदम हाजरी में खारिज कर दिया । वादी अपीलांट दिनांक 05.03.2020 से पूर्व से बीमार चल रहा था इस कारण नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका तथा दिनांक 22.03.2020 से महामारी कोरोना 19 के कारण लोक डाउन हो जाने से प्रार्थी व उसके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हो सके । लोक डाउन खुलने पर दिनांक 22.06.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 13 सी पी सी को उपस्थित होकर उसी दिन रेस्टोर करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बीमारी के कथन पर विश्वास नहीं कर सरसरी तौर पर उसी दिन दिनांक 22.06.2020 के आदेश से निरस्त कर दिया । अपीलांट वादी की उक्त अनुपस्थिति बोनाफाइड थी जिसे नहीं मानकर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन खारिज करने में त्रुटि की है । यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया तो अपीलांट वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व न्याय से हमेशा के लिये वंचित रह जावेगा । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है हमारी स्वअर्जित सम्पत्ति है । पैरा नम्बर 2 में वादी ने स्वयं लिखा है कि नामान्तरकरण संख्या 146 से हमारे नाम दर्ज हुई इन्होंने इस नामान्तरकरण को चैलेन्ज नहीं किया है । पैरा नम्बर 4 बंटवारा होना बताया तो फिर बंटवारे का पार्टीशन तब होगा जब पैतृक सम्पत्ति होगी । आर्डर शीट में दिनांक 29.03.2011 से साक्ष्य वादी में पत्रावली चल रही थी । दिनांक 13.03.2012 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की है । इन्होंने 6–7 साल बाद दिनांक 08.01.2019 को रेस्टोरेशन का आवेदन किया वो भी दिनांक 05.03.2020 को खारिज हो गया । फिर ये अपील करते हैं फिर रेस्टोरेशन दिनांक 22.06.2020 को खारिज कर दिया । अपील में इनका कोई ग्राउण्ड नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी गजानन्द का वाद दिनांक 05.03.2020 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था । उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लेने के लिए प्रार्थी गजानन्द के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2020 से खारिज कर दिया गया । अदम हाजरी में वाद खारिज को नम्बर पर लेने के लिए आदेश 9 नियम 9 के अन्तर्गत प्रावधान है और यदि न्यायालय द्वारा एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी जाती है तो उसे अपास्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन नामन्जूर करने का आदेश दिया जाता है तो

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उसके विरूद्ध आर्डर 43 नियम 1 में अपील का प्रावधान है परन्तु उपरोक्त मामले में एक तरफा डिक्री पारित नहीं की है । ऐसी स्थिति में अपीलांट इस न्यायालय से किसी भी तरह की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा